न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ जिला अलवर (राज0)

हुक्म या कार्यवाही

शिवराम बनाम लिछमन

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/83/2024

02.04.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खाता संख्या 469 खसरा संख्या 336/0.07 वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी को दीगर शख्सों को किसी भी प्रकार से मुंतकिल कर मुंतकिली का दस्तावेज पंजीवद्व न करें नपा ही प्रार्थी को उक्त आराजी के क्रयशुदा हिस्सा से जबरन बेदखल कर स्वयं

कब्जा करते हुए कोई निर्माण कार्य कर ना ही प्रार्थी को उक्त आराजी के उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करें। अन्त में विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी मे हम प्रार्थी की क्रयशुदा आराजी है। उक्त भूमि के संबंध में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि *विवादित आराजी हाल खाता संख्या 469 खसरा संख्या 336/0.07 वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर में राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिती बनाये रखें।* अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में अप्रार्थीगण कोई आक्षेप हो तो दिनांक 09.05.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

9/5/24 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप. वास्ते के जारी होने कोई नोटिस अप्रार्थी दि. 8/7/24 को पेश हो।

SDO

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ
जिला अलवर (राज0)

हुक्म या कार्यवाही

08.07.24

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 05.09.24 को पेश हो।

रीडर

5/9/2024 पत्रावली पेश। [illegible] 345 वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 27/11/2024 को पेश हो।

SDO

27/11/24

पत्रावली पेश। अप्रार्थी सं. 2,3 की ओर से वकालतनामा पेश। वास्ते जवाब 2,3 व तलबी। दिनांक 02/01/25 को पेश हो।

SDO

02/01/25

पत्रावली पेश। मूलवाद अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नामजद से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

SDO